उद्योग संचालनालय,मध्यप्रदेश
(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 8 / विसहा / (5) / 2015 / 658-659 भोपाल, दिनांक 01.06.2018

प्रति,

1. परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी,
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
समस्त (म. प्र.)

2. महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
समस्त (म. प्र.)

विषय :- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत लाभांवित इकाई को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत प्रवेश कर मुक्ति सुविधा एवं मण्डी शुल्क से छूट के संबंध में।

संदर्भ :- म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 का बिंदु क्रमांक 4.4

ঞঞঞ

विषयांतर्गत लेख है कि एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 के बिंदु 4.4 अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत लाभांवित इकाई को समान प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। उक्त के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत लाभांवित इकाई उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत प्रवेश कर छूट हेतु आवेदन करती है, तो उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत 30 जून, 2017 के बाद की अवधि हेतु प्रवेश कर से छूट के संबंध में शासन निर्णय प्रतीक्षित होने से उसके आवेदन पर 30 जून, 2017 तक की अवधि हेतु ही प्रवेश कर से छूट के संबंध में जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत लाभांवित इकाई के उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत मण्डी शुल्क से छूट के आवेदन पर जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित

सहायक संचालक, उद्योग
उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश